

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 29/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री पवनसिंह राव पुत्र श्री रंजीत सिंह राव (मैनेजर एवं विक्रेता), मैसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।
2. श्री रंजीत सिंह राव पुत्र श्री मनोहर राव (प्रोपराईटर), मैसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।
3. मैसर्स आरजे-01दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51के तहत

अभिभाषक : श्री चिराग दुआ व अन्य अप्रार्थीगण की ओर से

-: आदेश :-

दिनांक-17.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्ड रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.03.2024 को 02:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारीश्री सुशील कुमार चोटवानीमेंसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेरपर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री पवन सिंह राव मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय फ्रिज में लगभग 05 किलोग्राम पनीर आम जनता कोंविक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त मावा की गुणवत्ताका शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु 01 किलोग्राम पनीर 350/- रूपयें श्री पवन सिंह को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन त्रिपाठी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री पवन सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 250 ग्राम) में भरकर प्रत्येक बोतल में 20-20 बून्द फार्मैलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4245 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषकअजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/2439 दिनांक 22.01.2024के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/389/एक्ट/2024/417 दिनांक 12.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक12.11.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.11.2024को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री पवन सिंह व अन्यको विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.01.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 10.01.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री चिराग दुआ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा दिनांक 07.05.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

नियत पेशी दिनांक 17.07.2025को वकील अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्यसुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। अपने लिखित प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण ने मुख्य रूप से यह अंकित किया कि उनके द्वारा ढाबा का व्यवसाय किया जाता है, नमूना जाँच हेतु लिया गया पनीर सब्जी में प्रयुक्त किया जाता है। उनके द्वारा न तो पनीर का निर्माण किया जाता है, न ही



उसका खुला विक्रय किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित किया गया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट उनको भिजवायी नहीं गयी, जिससे कि वे समय पर अपील नहीं कर सके। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया कि पनीर विभिन्न व्यवसायियों से क्रय किया जाता है तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के दूध (गाय व भैंस) से पनीर बनाया जाता है, अतः बी आर रीडिंग में अन्तर आना स्वाभाविक है तथा इसके लिए अप्रार्थीगण उत्तरदायी नहीं है। अप्रार्थीगण ने उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री पवन सिंह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री पवन सिंह को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री पवन सिंह पर रु. 20,000/- (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 17.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाएँ जोन अजमेर



4. श्री पवनसिंह राव पुत्र श्री रंजीत सिंह राव (मैनेजर एवं विक्रेता), मैसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।
5. श्री रंजीत सिंह राव पुत्र श्री मनोहर राव (प्रोपराईटर), मैसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।
6. मैसर्स आर जे-01 दा ढाबा, मित्तल मॉल के सामने, पृथ्वीराज मार्ग, खाईलैण्ड, कोतवाली गेट के बाहर, अजमेर।



न्याय प्रणाली निर्माण अधिकारी एवं
अतिरिक्त सहायक सचिव अजमेर